UPLK010146992025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 1208/2025

सरकार बनाम राम भजन उर्फ भजन लाल आदि

अ0सं0 233/2024
धारा–103(2),238 बी0एन0एस0 तथा
धारा 3(2)5 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–रहीमाबाद, लखनऊ।

29–11–2025

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण राम भजन उर्फ भजन लाल, कुन्ती रावत व जब्बार जेरे हिरासत न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

न्यायालय के समक्ष विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण राम भजन उर्फ भजन लाल, कुन्ती रावत के विरुद्ध धारा 103(2), 238 बी0एन0एस0 के अधीन तथा अभियुक्त जब्बार के विरूद्ध धारा 103(2), 238 बी0एन0एस0 तथा धारा 3(2)5 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 12.12.2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010146992025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 1208/2025

सरकार बनाम राम भजन उर्फ भजन लाल आदि

अ0सं0 233/2024
धारा–103(2),238 बी0एन0एस0 तथा
धारा 3(2)5 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–रहीमाबाद, लखनऊ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त जब्बार को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

प्रथमः यह कि दिनांक 07.06.2026 से 08.08.2025 की रात समय लगभग 03.30 थाना रहीमाबाद जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम अहिण्डर में आप अभियुक्त जब्बार द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी पप्पू रावत के भाई गप्पू रावत की हत्या कर दी। इस प्रकार आप द्वारा किया गया कारित किया गया अपराध बी0एन0एस0 की धारा 103(2) के तहत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप आप अभियुक्त जब्बार द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी पप्पू रावत के भाई गप्पू रावत की हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से मृतक की लाश को खाली जमीन पर फेंक दिया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया, जो बी0एन0एस0 की धारा 238 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप आप अभियुक्त जब्बार द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी पप्पू रावत के भाई गप्पू रावत (जो अनुसूचित जाति का सदस्य है) की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के आशय से लाश को खाली जमीन में फेंक दी, जो भारतीय न्याय संहित के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)(V) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 29–11–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 29–11–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127

UPLK010146992025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 1208/2025

सरकार बनाम राम भजन उर्फ भजन लाल आदि

अ0सं0 233/2024
धारा–103(2),238 बी0एन0एस0
थाना–रहीमाबाद, लखनऊ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण राम भजन उर्फ भजन लाल व कुन्ती रावत को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूॅः–

प्रथमः यह कि दिनांक 07.06.2026 से 08.08.2025 की रात समय लगभग 03.30 थाना रहीमाबाद जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम अहिण्डर में आप अभियुक्तगण राम भजन उर्फ भजन लाल व कुन्ती रावत द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी पप्पू रावत के भाई गप्पू रावत की हत्या कर दी। इस प्रकार आप द्वारा किया गया कारित किया गया अपराध बी0एन0एस0 की धारा 103(2) के तहत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप आप अभियुक्तगण राम भजन उर्फ भजन लाल व कुन्ती रावत द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी पप्पू रावत के भाई गप्पू रावत की हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से मृतक की लाश को खाली जमीन पर फेंक दिया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया, जो बी0एन0एस0 की धारा 238 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 29–11–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 29–11–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127